न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय बक्सर।

टाईटल सूट वाद संख्या – 11/02
CIS No. 89/2014

देवन्ती देवी
बनाम
गोपाल प्रसाद जयसवाल

उपस्थित :–

प्रभाकर दत्त मिश्र
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय–
–सह– विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0,
बक्सर।

आदेश

16.05.2024

आवेदक की ओर से धारा–151 सी.पी.सी. ऐक्ट के अन्तर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 12.3.2024 एवं प्रत्युत्तर दिनांक 18.04.204 पर सुनवाई के पश्चात पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई।

उक्त आवेदन दाखिल कर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है मनमुदईया ने अपनी सगी सास भागीरथी देवी द्वारा आवेदिका के पक्ष में लिखे गए वसीयत का प्रोबेट प्रमाण पत्र ग्रांट करने हेतु दाखिल किया है। मनमुदईया को दिनांक 16.02.2024 को पहले पहल जानकारी मिला कि उसकी वसीयतकर्ता भागीरथी देवी ने मुकदमें इजराय सं0 3 सन् 1989 निस्बत विवादित एराजी में सुलहनामा आवेदन दिनांक 31.08.1989 अपना दस्तख्त बना दाखिल कर इजराय वाद मजकुर को सुलह की थी वह सुलहनामा आवेदन नम्बरी मुकदमा नं0 84 सन् 1998 बईजलास सब जज 2, बक्सर के यहां इस वाद के मुदालय राजेन्द्र प्रसाद ने दाखिल किया है। वाद में मुदालय राजेन्द्र प्रसाद द्वारा मनमुदईया के वसीयतकर्ता भागीरथी देवी के द्वारा वसीयत पर किये गए दस्तखत को विवादित कथित किया गया है। उपरोक्त हालत में सुलहनामा आवेदन मजकुर को अभिलेख पर होना वाद के अंतिम न्याय निर्णयन के लिए निहायत जरूरी है। मनमुदईया सुलहनामा आवेदन मजकुर का नकल बजाप्ता हासिल कर इस आवेदन के साथ दालिख कर रही है। उपरोक्त परिस्थिति में सुलहनामा आवेदन मजकुर को साक्ष्य में टेक अप करने हेतु मनमुदईया का साक्ष्य रिओपेन होना निहायत जरूरी है। अतः आवेदिका का साक्ष्य रिओपन करने का निवेदन किया गया है।

प्रभाकर दत्त मिश्र
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय
बक्सर
देवन्ती देवी बनाम गोपाल प्रसाद जयसवाल
टाईटल सूट वाद संख्या – 11/02 (CIS–89/2014)

लगातार

16.05.2024 इसके विपरीत विपक्षी द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक 18.04.204 दाखिल कर कथन किया गया है कि आवेदिका द्वारा जाली फरेबी वसीका है जो दाखिल किया गया है। आवेदिका द्वारा 16.02.2024 को यह कहना गलत होगा कि जानकारी पहली बार मिला है क्योंकि 84/1998 में मुदई राजेन्द्र प्रसाद और मुदालेह गोपाल प्रसाद जयसवाल की ओर से गवाही उक्त मुकदमा में खत्म हो गया और बहस हेतु चल रहा है। उसमें दाखिल कागजात कि पूर्ण जानकारी आवेदिका को थी। मुकदमा को लिंगर करने के लिए दाखिल किया गया है। आवेदिका द्वारा दाखिल बजाप्ता नकल लगभग 22 वर्षों के बाद दाखिल कि है कि उक्त मुकदमा बहस हेतु चल रहा है अगर साक्ष्य रिओपेन किया गया तो प्रतिवादी इन्टरभेनर हरास होंगे। अतः अनुरोध किया गया है कि आवेदिका के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद स्व0 भगीरथी देवी द्वारा आवेदिका के पक्ष में लिखे गये प्रोबेट प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु दाखिल किया गया था। इजराय वाद 3/1989 निस्बत विवादित इराजी के संबंध में वसीयतकर्ता भागीरथी देवी द्वारा दस्तखत बनाकर सुलहनामा दाखिल की थी। वसीयत पर स्व0 भागीरथी देवी के हस्ताक्षर के संबंध में विवाद है। ऐसी स्थिति में स्व0 भागीरथी देवी द्वारा इजराय वाद संख्या– 3/1989 में किये गए सुलहनामा पर हस्ताक्षर न्याय निर्णयन हेतु साक्ष्य में लिया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। उक्त दस्तावेज आवेदिका के द्वारा काफी विलम्ब से दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में 500/– खर्चा के साथ आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। दिनांक 30.05.2024 वास्ते अग्रिम कारवाई।

लेखापित

(प्रभाकर दत्त मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय–
–सह– विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0
बक्सर।